आदेश

11.05.2026 सिकंदरा थाना काण्ड संख्या–67/2020, जो भारतीय दण्ड संहिता (I.P.C.) की धारा 147, 148, 149, 307, 504, 324, 379, 506 एवं 27 शस्त्र अधिनियम से संबंधित है, के अभियुक्त **मनोज मांझी,** उम्र लगभग 45 वर्ष पिता–जगदेव मांझी साकिन–छितौनी, थाना–सिकंदरा, जिला–जमुई की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–438 के अंतर्गत यह आवेदन इस काण्ड में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है।

कांड के सूचक नंद किशोर पासवान द्वारा थानाध्यक्ष, सिकंदरा थाना को दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक–11.04.2020 को समय करीब 7–8 बजे रात में वह अपने घर में परिवार के सदस्यों के साथ बैठा था तभी दरवाजे के बाहर से पूना मांझी, दामो मांझी, **मनोज मांझी,** जगदेव मांझी मादरचोद, बहनचोद गाली देते हुए बोले कि नंद किशोर पासवान घर से बाहर निकलो। उसने अपने भाई शंकर पासवान के साथ दरवाजा खोला और बाहर निकला और गाली देने से मना किया इसी बात पर तीनों व्यक्ति ने बोला कि केस उठा लो। तब उसने बोला कि कोर्ट से फैसला होगा। इसी बात पर उसी समय मुकेश मांझी, अरबिंद मांझी तथा मालो मांझी, माधो मांझी, पवन मांझी एवं भगत मांझी अपने अपने हाथ में लाठी तलवार एवं पिस्तौल लेकर आ गये। वह और उसके भाई जान का खतरा देखकर भागने लगे तो सभी लोगों ने घेर लिया और मालो मांझी अपने हाथ में लिए तलवार से जान मारने के नियत से शंकर पासवान के सिर पर चलाया जिससे सिर कट गया, माधो मांझी, पवन मांझी और अरबिंद मांझी लाठी से पीठ एवं कंधा पर मारा, जिससे वे गिर गये। **मनोज मांझी अपने हाथ में लिए टांगी से जान मारने की नियत से चलाया, जो उसके सिर पर लगा सिर फट गया, खून बहने लगा तथा वह जमीन पर गिर गया।** इसके बाद सबूजा देवी, सीता देवी, दुर्गा देवी ने भी ईंट–पत्थर चलाया जिससे उसके चाचा कैलाश पासवान को चोट लगा। पूना मांझी पिस्तौल का भय दिखाकर दुकान के बिक्री का 2800/– रूपया निकाल लिया और फायरिंग करते हुए निकल गया।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय में और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है और उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। मामले में दोनों पक्षों की ओर से कांड दर्ज करवाये गये हैं।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधारों पर

आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का घोर विरोध किया।

मैंने अभिलेख सहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी से ही स्पष्ट है कि यह मामला वर्ष 2020 का है तथा आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। आवेदक अभियुक्त पर टांगी से सूचक के सिर पर मारने का आरोप है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि सह अभियुक्त भोला मांझी, दामो मांझी, मुकेश मांझी, भोला मांझी, माधो मांझी बगैरह थे, विरूद्ध पूर्व में ही आरोप पत्र संख्या–48/2026 समर्पित किया जा चुका है। कांड दैनिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्त फिरार था। फलतः उसके विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित नहीं कियाा जा सका था। कांड दैनिकी के पेरा–3, 4, 7, 8 एवं 9 में कांड के सूचक संहित अन्य साक्षियों का बयान दर्ज है। सूचक संहित अन्य साक्षियों ने अपने अपने बयान में प्राथमिकी का पूर्ण समर्थन किया है। कांड दैनिकी के सूचक **नन्द किशोर पासवान** एवं शंकर पासवान का जख्म प्रतिवेदन दर्ज है। सूचक के जख्म प्रतिवेदन निम्न प्रकार है–

i. Lacerated wound on back of skull size 2" x 1/2" x 1/4 bone deep & faintness advice C.T. scan.

शंकर पासवान का जख्म प्रतिवेदन इस प्रकार है।

i. Lacerated wound on left lateral side of skull size 1.5" x 1.5" x Skin deep.

आवेदक अभियुक्त पर जख्मी नन्द किशोर पासवान को खन्ती से सिर पर जान मारने की नियत से प्रहार करने का आरोप है। मेरे विचार से आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत आवेदन प्रदान करना न्यायोचित नहीं है। अतः अग्रिम जमानत का यह आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
जमुई।

प्रति अग्रसारितः–विद्वान न्यायालय श्री कुमार शशि, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
जमुई।